न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष एम.के. सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 454-II/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 01.03.2011 पारित द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन, प्रकरण क्रमांक 137/08–09 निगरानी

1– प्रभूलाल पिता नारायण
2– सीताराम पिता नारायण
3– ममता बाई पिता नारायण
4– बंसती बाई पिता नारायण
2 लगायत 4 द्वारा मुख्त्यारआम प्रभू लाल पिता नारायण
सभी निवासीगण-- कस्बा सुसनेर जिला शाजापुर (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, जिला--शाजापुर

..... अनावेदक

श्री के.के.द्विवेदी व श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषकगण आवेदकगण
श्री डी0के0शुक्ला, पेनल अभिभाषक अनावेदक शासन

:: आदेश ::

(आज दिनांक 23 जनवरी, 15 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 137/08–09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 01.03.2011 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है आवेदकगण के पिता स्वर्गीय नारायण को भूमि सर्वे नं. 2012, 2705/1 व 2712 का पट्टा दिनांक 03.06.1966 को दिया गया था। उनके मुत्यु के बाद प्रभूलाल, सीताराम पुत्रगण एवं ममता बाई, बंसती बाई पुत्रीयों के नाम का नामान्तरण तहसीलदार ने स्वीकार किया था। कलेक्टर जिला शाजापुर ने तहसीलदार द्वारा किये गये नामान्तरण को निरस्त करने के लिये प्रकरण स्वमेव निगरानी मे लेने हेतु प्रभूलाल इत्यादि को सूचना पत्र जारी किया। आवेदकगण का उत्तर प्राप्त किया व सुनवाई कर नामान्तरण

पंजी में आवेदकगण के नाम पर अंकित प्रमाणित प्रविष्टि को निरस्त करने का आदेश प्रकरण क्रमांक 1/स्वमेव निगरानी/08–09 में दिनांक 09.03.2009 को दिया। इससे असन्तुष्ट होकर प्रभूलाल इत्यादि द्वारा संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष प्रकरण क्रमांक 137/08–09 प्रस्तुत किया गया जो उनके विचाराधीन पारित आदेश दिनांक 01.03.2011 को निरस्त किया गया। अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश 1–3–11 के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3– प्रकरण में आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में बताया गया कि आवेदकगण के स्वर्गीय पिता नारायण को भूमि सर्वे नं. 2102, 2705/1 एवं 2712 कुल किता 3 का पट्टा तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् प्रक्रिया पालन करते हुये पारित आदेश दिनांक 03.06.1966 से दिया गया था। जिसके पश्चात् आवेदकगण का राजस्व अभिलेखों में नाम इन्द्रांज किया गया था, जो आज वर्तमान समय में निरन्तर चला आ रहा है। कलेक्टर जिला शाजापुर द्वारा विधिवत् प्रक्रिया का पालन किये बिना एवं उसे सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये बिना ही पारित आदेश दिनांक 09.03.2009 से आवेदकगणों का राजस्व अभिलेखो से नाम हटाये जाने का आदेश पारित किया है। जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा लगभग 45 वर्ष पश्चात् प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लिया गया है, जो अत्यधिक लम्बे समय पश्चात् होने से किसी भी स्थिति में स्वीकार योग्य नहीं है। इसलिये कलेक्टर न्यायालय का आदेश अपास्त किया जाये। आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह भी बताया गया कि अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लिया गया है जिसके सम्बन्ध में जो कारण बताओ सूचना–पत्र उसे प्राप्त हुआ था उसका विधिवत् जबाव अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था तथा उल्लेख किया था कि अधिक समय बाद स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में 2010 आर.एन. 409 उच्च न्यायालय पूर्णपीठ, 1998–एक एम.पी.डब्लू.एन. नोट नं. 26 उच्चतम न्यायालय ए.आई.आर. 1969 एस.सी. 1267 एवं 2000 आर.एन. 161 उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत का उल्लेख किया हैं। तर्कों में यह भी बताया गया कि इस प्रकरण में तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 03.06.1966 अन्तिम प्रवृति का आदेश था। जिसके विरूद्ध केवल अपील विचारणीय थी, ना कि पुनरीक्षण अथवा स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण। इस प्रकार पुनरीक्षण न्यायालय कलेक्टर जिला शाजापुर का आदेश नितान्त अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अंत में उनके द्वारा वर्तमान निगरानी स्वीकार किये जाने एवं अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन एवं कलेक्टर जिला शाजापुर के आदेश निरस्त किये जाने

एवं तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 03.06.1966 स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया।

4— अनावेदक शासन की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में यह बताया गया कि कलेक्टर जिला शाजापुर द्वारा प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लिया गया है जिसके संबंध में आवेदकगण को सूचना सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर दिया गया था। तत्पश्चात् कलेक्टर जिला शाजापुर द्वारा वर्तमान प्रकरण में अपना विधिवत् आदेश दिनांक 09.03.2009 पारित किया है। जिसे अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा भी स्थिर रखा गया है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त दोनों न्यायालयों के आदेश समवर्ती होने से स्थिर रखे जाने योग्य है। इसलिये आवेदकगण की वर्तमान निगरानी में कोई बल नहीं होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5— प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषकगणों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश का सूक्ष्म अध्ययन किया गया। इस प्रकरण में कलेक्टर जिला शाजापुर द्वारा तहसीलदार सुसनेर के पत्र क्रमांक रीडर/88/389 दिनांक 02.05.2008 में दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण को स्वमेव निगरानी में दिनांक 27.10.2008 को लिया है। कलेक्टर जिला शाजापुर के समक्ष आवेदकगण की ओर से यह आधार लिया गया था कि वर्तमान प्रकरण को 42 वर्ष पश्चात् स्वमेव निगरानी में लिया गया है, जबकि अधिक समय पश्चात् प्रकरण को स्वमेव निगरानी में नहीं लिया जा सकता है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत 1998 (1) मध्य प्रदेश वीकली नोटस 26 मोहम्मद कवि विरूद्व फात्माबाई इब्राहिम में माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्वांत प्रतिपादित किया गया है :—

''परिसीमा—स्वप्ररेणा से जॉच की शक्ति—कानून के अधीन परिसीमा की अवधि उपबंधित नहीं। युक्तियुक्त समय के भीतर प्रारंभ की जाना चाहिए— प्रयोजन के लिये एक वर्ष अयुक्तियुक्त हो सकता है।''

''भू—राजस्व संहिता सन् 1959 (मध्य प्रदेश) धारा 50—स्वप्ररेणा से पुनरीक्षण की शक्ति—युक्ति युक्त समय के भीतर प्रयुक्त की जा सकती है — मात्र एक वर्ष भी अयुक्तियुक्त हो सकता है।''

इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश की पूर्णपीठ द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयो के अनेक न्याय दृष्टातों का सन्दर्भ देते हुये I.L.R. (2011) M.P. 1 (रनवीर सिंह मृतक वारिसान किशोरी सिंह एवं अन्य तथा मध्य प्रदेश शासन) में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि :—

''भू–राजस्व संहिता मध्य प्रदेश (1959 का 20) धारा–50 पुनरीक्षण संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत परिकल्पित पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्वप्ररेणा शक्तियों का प्रयोग उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाहियों की अवैधता, अनौचित्यता तथा अनियमितता की जानकारी की तारीख से 180 दिन की अवधि के भीतर किया जा सकता है भले ही अचल सम्पत्ति शासकीय भूमि हो अथवा उसमें कोई लोकहित हो।

6– उपरोक्त प्रतिपादित न्यायिक सिद्वातों के प्रकाश में तथा प्रकरण के तथ्यों को देखते हुये यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों के जो आदेश है वह न्यायिक एवं विधि सम्मत् न होने से निरस्त किये जाने योग्य है। जहॉ तक कलेक्टर न्यायालय का यह निष्कर्ष कि आवेदकगण के पिता को अस्थाई पट्टा 03.06.1966 को दिया गया था। जो कलेक्टर के आदेश दिनांक 22.12.1971 को खारिज हो गया है। जबकि इस संबंध में कोई आदेश कलेक्टर शाजापुर का वर्तमान प्रकरण में उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में बिना किसी आदेश के यह निष्कर्ष दिया जाना कि तहसीलदार का पूर्व आदेश दिनांक 03.06.1966 खारिज हो गया है उचित नही है। कलेक्टर न्यायालय द्वारा आवेदकगणों के संवैधानिक अधिकारों को बिना किसी कारण के समाप्त किया गया है। जबकि व्यक्तियों संवैधानिक अधिकार बिना किसी कारण के समाप्त नहीं किये जा सकते है। इस प्रकार उपरोक्त परिस्थितियों को नजर अंदाज कर जो आदेश कलेक्टर जिला शाजापुर एवं अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित किये गये है। वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.03.2011 एवं कलेक्टर जिला शाजापुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.03.2009 विधिवत् एवं औचित्यपूर्ण नहीं होने से निरस्त किये जाते हैं परिणाम स्वरूप यह निगरानी स्वीकार की जाती है। तहसीलदार को निर्देश दिये जाते कि आवेदक प्रभुलाल का नाम प्रश्नाधीन भूमि पर भूमिस्वामी के रूप में पूर्ववत् अंकित किया जाये ।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर